# अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

21 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवसके रूप में मनाया जाता हैं। वर्ष 1952 में इसी दिन बांग्लादेश(तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान)के ढाका विश्वविद्यालय, जग्गनाथ विश्वविद्यालय और चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों द्वारा बांग्ला को राष्ट्र भाषा घोषित किये जाने हेतु आंदोलन किया था जिसमें अनेक छात्रों ने पुलिस की गोलियों का शिकार होकर अपनी मातृभाषा के लिए प्राण न्योछावर किये थे।मातृभाषा के लिए दिए गए इसी बलिदान की स्मृति में यूनेस्को ने वर्ष 1999 में इस दिवस को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवसके रूप में मनाने की शुरुआत की थी जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2008 में स्वीकृति दी।

यूनेस्को के अनुसार भाषा केवल संपर्क, शिक्षा या विकास का माध्यम ना होकर व्यक्ति की विशिष्ट पहचान है, उसकी संस्कृति, परंपरा एवं इतिहास का कोष हैं।भाषा के इसी महत्त्व को दर्शाने के लिए यूनेस्को नेवर्ष 2019 को 'स्वदेशी भाषाओं का वर्ष' (The Year of Indigenous Languages) के रूप में मनाएगा।मातृभाषा के महत्व के संदर्भ में यूनेस्को कहता है की मातृभाषा ज्ञान, शांति, अधिकार, समावेश एवं विविधता हेतु आवश्यक है। हर भाषा अपने साथ एक विशिष्ट ऐसी ज्ञान परंपरा का संवहनकरती हैएवं राष्ट्रों के विकास प्रक्रिया में सहायक बन शांति को बढ़ावा देने का कार्य करती है। देश के लोगों को शिक्षा आदि जैसे मूलभूत अधिकार प्रदान करती है तथाइसमें समाज के सभी वर्गों का समावेश सुनिश्चित करती है।इस प्रकार समाज के सांस्कृतिक मूल्यों की विरासत को संजोने का कार्य भी मातृभाषा ही करती है।

मातृभाषा के संदर्भ में कुछ विद्वानों का मानना है की “माँ”की भाषा ही मातृभाषा है।यह पूर्ण सत्य नहीं है, माँ की भाषा के साथ-साथ बच्चे का शैशव / बचपन / बाल्यावस्था जहाँ बीतता है, उस माहौल में ही जननी भाव है। जिस परिवेश में बच्चे पलते है वहां जो भाषा वो सीखता है वह भाषा उस बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। यहाँ परिवेश से अर्थ परिवार एवं उस परिवार के सांस्कृतिक मूल्यों से हैं।

हमारे देश में भाषा के प्रति अनेक प्रकार के भ्रम फैले है, जिनमें  एक अत्यंत महत्वपूर्ण भ्रम है कि अंग्रेजी विकास की भाषा हैं। जबकि इस बात से यूनेस्को सहित अनेक संस्थानों के अनुसंधान यह सिद्ध कर चुके है कि अपनी भाषा में शिक्षा से ही बच्चे का सही मायने में विकास हो पाता हैं।इस हेतु मातृभाषा में शिक्षा यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टि है।इसी मत को भारत के राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र तथा शिक्षा संबंधित सभी आयोगों आदि ने भी माना है।भारतीय वैज्ञानिक सी.वी. श्रीनाथ शास्त्री के अनुभव के अनुसार अंग्रेजी माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले की तुलना में भारतीय भाषाओं  के माध्यम से पढ़े छात्र, अधिक उत्तम वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं।

महात्मा गाँधी ने कहा था, "विदेशी माध्यम ने बच्चों की तंत्रिकाओं पर भार डाला है, उन्हें रट्टू बनाया है, वह सृजन के लायक नहीं रहे.....विदेशी भाषा ने देशी भाषाओं के विकास को बाधित किया है।"इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉ. अब्दुल कलाम के स्वयं के उच्चारित शब्दों का यहां उल्लेख आवश्यक हो जाता है, "मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना, क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।”इसी प्रकार माइक्रो साफ्ट के सेवानिवृत वरिष्ठ वैज्ञानिक संक्रात सानू ने अपनी पुस्तक में दिये गये तथ्यों में यह कहा है कि विश्व में सकल घरेलू उत्पाद में प्रथम पंक्ति के 20 देश सारा

कार्य वे अपनी भाषा में ही कर रहे हैं, जिनमें चार देश, अंग्रेजी भाषी हैं, क्योंकि उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है। वह आगे लिखते हैं कि विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे पिछड़े हुए 20 देशों में विदेशी भाषा में या अपनी और विदेशी दोनों भाषा में उच्च शिक्षा दी जा रही हैं तथा शासन-प्रशासन का कार्य भी इसी प्रकार किया जाता है।उपर्युक्त कथन की सत्यता को प्रमाणित करने की दृष्टि से भारतीयों को प्राप्त नोबल पुरस्कार और अपनी भाषा में शिक्षा देने वाले देश इजरायल, जापान, जर्मनी आदि के विद्वानों द्वारा प्राप्त नोबेल पुरस्कारों की तुलना करने से स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाती है।

स्वदेशी (इंडिजिनस) भाषाओं के अनन्य महत्व के बावजूद हम अपनी भाषाओं के संवर्धन में पिछड़ रहे है।1961 की जनगणना में भारत में 1,652 भाषाएँ दर्ज हैं। 1971 तक, यह आंकड़ा 808 पहुँच गया था। पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, 2013 के अनुसार हमने पिछले 50 वर्षों में 220 से अधिक भारतीय भाषाओं को खो दिया गया है तथा 197 और भाषाएं लुप्तप्राय होने की कगार पर है।

भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से देश में 121 आधिकारिक भाषाएं हैं (2011 की जनगणना)। वहीं पीपल्स लिंगविस्टिक सर्वे ऑफ़ इंडिया के अनुसार भारत में 780 भाषाएं मौजूद है। लगभग 100 और भाषाओं के अस्तित्व में होने की संभावना भी जाहिर की गयी हैं।महाराष्ट्र की वदारी एवं कोल्हाटी, कर्नाटक-तेलंगाना की गोल्ला, गोसारी ऐसी भारतीय भाषाओं के उदाहरण है जिनके बोलने वालों की संख्या दस हज़ार से कम होने की वजह से भाषा सूची से बाहर है।जबकि अधुनि, दिची, घल्लू, हेल्गो तथा बो कुछ ऐसी भाषाओं के नाम हैं जो देश में विलुप्त हो चुकी है।

197 लुप्तप्राय भाषाओं में से, भारत में केवल बोडो और मैतई को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है, क्योंकि उनके पास लेखन प्रणाली है।भारत जैसे देश में जहां ज्ञान परंपरागत रूप से पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक ही चलती आयी है, ऐसे में लेखन प्रणाली के अभाव में भाषा के रूप में गणना नहीं करना देश की सांस्कृतिक ऐतिहासिक वास्तविकताओं से परे हैं। इस प्रकार के नियमों से भी अनेक भाषाएं लुप्तप्राय हो रही है।भारत सरकार को अविलम्ब ऐसे नियमों पर पुनः विचार कर समीक्षा करना चाहिए ताकि 2021 की जनगणना में सुधार करके वास्तविक जनगणना हो सके।

मातृभाषा केवल ज्ञान प्राप्ति ही नहीं बल्कि मानवाधिकार संरक्षण, सुशासन, शांति-निर्माण, सामंजस्य और सतत विकास के हेतु एक आधारभूत अर्हता है।इसी प्रकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और समाज में सामंजस्य के लिए स्वदेशी भाषाएं महत्व रखती हैं। उनमें से कई के विलुप्त होने का खतरा है।विविधता में हमारे विश्वास के बावजूद, हम, विशेष रूप से भाषाओं और बोलियों के संदर्भ में, इनका संवर्धन करने में सक्षम नहीं दिख रहे है।इसी कारण वश संयुक्त राष्ट्र ने 2019 को स्वदेशी (इंडिजीनस) भाषाओं का वर्ष घोषित किया, ताकि उन्हें संरक्षित, पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए तत्काल कार्रवाई को प्रोत्साहित किया जा सके।

**********